FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0020 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 29/10/2024 17:00 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	201
3	IPC 1860	203
4	IPC 1860	406
5	IPC 1860	420
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2018 **Date To (दिनांक तक):** 04/03/2019

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 20:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/10/2024 **Time (समय):** 17:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 29/10/2024 17:09 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 12 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): BK HOSPITAL FARIDABAD,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): INSP VIRENDER SINGH

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1972 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS ACB FARIDABAD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS ACB FARIDABAD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9588177453

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	डॉ0 प्रताप कुमार		Father's Name: श्री नटराज पिल्ले	1. सी0एम0डी0/कार्डियोलोजिस्ट,मेडिट्रेना हस्पताल,बी0के0एच0,फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	श्री प्रवीण कुमार तिवारी		Father's Name: श्री प्रभुनाथ तिवारी	1. टावर न0-12,फ्लैट न0-101,ईमार पालम हीलस,सैक्टर-77,गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
3	पीयूश श्रीवास्तव			1. फाईनैंस अधिकारी,मैडिट्रिना हार्ट सैन्टर,तृतीय तल,बी0के0एच0,अस्पताल फरीदाबाद बिलिंग हैड FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	4,17,768 /रुपये	4,17,768.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,17,768.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। श्रीमान जी,जांच क्रमांक 06 दिनांक 12.12.2022 फरीदाबाद कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 49/105/ 2022-4 चै(1) दिनांक 08.12.2022 की अनुपालना में कार्यालय महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला के पृष्ठांकन 19462/आई-2/एस0वी0बी0(एच) दिनांक 13.12.2022 अनुसार आसूचना रिपोर्ट पर दर्ज होकर पड़ताल हेतू प्राप्त हुई व इसी सम्बन्ध में कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 49/105/2022-4 चै(1) दिनांक 02.01.2023 की अनुपालना में कार्यालय महानिदेषक, राज्य चैकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला के पृष्ठांकन 448/आई-2/एस0वी0बी0(एच) दिनांक 06.01.2023 अनुसार श्री मान सिंह भाटी पुत्र श्री राज सिंह निवासी म0नं0 888, गली नं0 1, न्यू बसेलवा कालोनी, ओल्ड फरीदाबाद की प्राप्त शिकायत के अनुसार निम्नलिखित आरोप की पडताल की जानी थी- आरोपी नं0 1- वर्ष 2018 में बी0के0 हस्पताल फरीदाबाद में एक हार्ट सैन्टर शुरु किया गया था, सरकारी हस्पतालों में आम जनता के लिए दिल की बिमारी का ईलाज किफायती दरों पर करने के लिए पी0पी0पी0 माडल योजना के तहत हार्ट सैन्टर खोलने का टैन्डर मैडिट्रिना हस्पताल प्रा0लि0 कोलम, केरला को वर्श 2017 में दिया गया था। इस स्कीम के तहत हरियाणा सरकार व मैडिट्रिना हस्पताल प्रा0लि0 के बीच एक अनुबन्ध हुआ, जिसके अनुसार वर्श 2018 से उपरोक्त कम्पनी द्वारा बी0के0 हस्पताल फरीदाबाद में हार्ट सैन्टर शुरु किया गया। इस अनुबंध के अनुसार (आयुश्मान भारत कार्ड होल्डर, हरियाणा सरकारी कर्मचारी, अनुसूचित जाति, बी0पी0एल0 कार्ड धारक आदि) के बिल का भुगतान सरकारी हस्पताल द्वारा किया जाना था। परन्तु उपरोक्त कम्पनी ने ऐसा ना करके उनसे व्यक्तिगत तौर बिल चार्ज किया(जोकि फ्री श्रेणी में आते थे)। कम्पनी ने मरीज से नगद बिल अदायगी की और सरकारी हस्पताल से भी इनका भुगतान लिया। इस सम्बन्ध में 4 बी0पी0एल0 कार्ड धारको और 3 आयुष्मान भारत कार्ड धारको की सूचि दी गई है, जिन्होने उक्त कम्पनी को अपने ईलाज का नगद भुगतान किया है और कम्पनी ने इसका भुगतान सरकारी हस्पताल से भी लिया है। आरोप नं0 2:- यह भी देखने में आया है कि इस कम्पनी के डाक्टर Puntcure needle , Balloon , wire, catheter, ROTA, Thrombus aspiration Catheter और अन्य उपकरण कई बार उपयोग कर रहे है । जबकि अनुबंध के पेज नं0 12 के पहरा नं0 5.1.5 के अनुसार सारा सामान नया होना चाहिए और पुराना नही होना चाहिए। जिन रोगियों के ईलाज पर पुराना सामान इस्तेमाल हुआ है उन 39 रोगियों की सूचि सलंग्न है। मेडिकल काऊंसिल आफ इण्डिया व विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश अनुसार हृय रोगी (cag ptc) के उपचार में पुरानी वायर, बलून और अन्य सामान उपयोग नही किया जाना चाहिए। इससे मरीज की जान को गम्भीर खतरा होता है। इस कारण फरवरी 2018 से अब तक हार्ट सैन्टर, सामान्य हस्पताल फरीदाबाद में 100 मौतें हो चुकी है। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला है कि कम्पनी द्वारा जारी बिल सरकार द्वारा स्वीकृत रेटों से अधिक है। इस प्रकार मेडिट्रिना होस्पिटल प्रा0लि0, प्रधान चिकित्सा अधिकारी सामान्य हस्पताल फरीदाबाद व उनके कर्मचारियों के साथ मिलकर हरियाणा सरकार को भारी नुकसान पहुँचा रहे है और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भारी खतरा पैदा कर रहे है।पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनो व प्रलेखो के अवलोकन से पाया गया कि आरोप न0 1 मे हरियाणा सरकार द्वारा जिला फरीदाबाद में हृय रोग से पीडित व्यक्तियो के उपचार लिए वर्ष 2017 में मेडिट्रीना कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जिला कोल्लम (केरल) के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था, इस अनुबंध अनुसार मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर में सरकार से जारी रेट लिस्ट अनुसार हृय रोगियों का ईलाज किया जाना था व इसके अतिरिक्त सरकार से छूट प्राप्त श्रेणी

रोगियों (बी0पी0एल0, अनुसूचित जाति, आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के आन डयुटी कर्मचारियो) का फ्री ईलाज करके उनके ईलाज पर खर्च राशी के बिल मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा तैयार किये जाकर अदायगी हेतू माहवार प्रधान चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बी0के0 हस्पताल फरीदाबाद में जमा करवाये जाने थे, जिन पर पी0एम0ओ0 कार्यालय में बनी चैकिंग कमेटी द्वारा बिलों की जांच करने उपरान्त सरकारी खाता से अदायगी करवाई जानी थी। पडताल पर वर्ष 2018 में बी0के0 सामान्य हस्पताल, एन0आई0टी0 फरीदाबाद के तृतीय तल पर मुताबिक अनुबंध हृय से सम्बन्धित रोगियों के उपचार हेतू मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा ईलाज कार्य शुरु किया जाना पाया गया। जांच के दौरान आरोप में वर्णित छूट प्राप्त श्रेणी के विवादित 4 बी0पी0एल0 कार्ड धारको भोपाल यादव, कौषल्या देवी, आषू व जिकरू रहमान और 3 आयुश्मान भारत कार्ड धारको विनोद कुमार, रमेश चन्द व सियाराम के ईलाज पर मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा मु0 13,29,490/-रू खर्च होने दिखलाकर पी0एम0ओ0 कार्यालय से बिलों का भुगतान करवाया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त 7 मरीजों से उपरोक्त भुगतान राशी के अतिरिक्त दोबारा ईलाज के दौरान नगद राशी मु0 2,57,260.50/- रू भी प्राप्त की जानी पाई गई है। जबकि उपरोक्त सभी मरीज छूट प्राप्त श्रेणी से सम्बन्धित है और उपरोक्त मरीजों द्वारा छुट प्राप्त श्रेणी में पहले फ्री ईलाज करवाया जाना पाया गया, परन्तु उसके बावजूद इन्ही मरीजों से दोबारा ईलाज के दौरान मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा नगद राशी लेकर ईलाज किया जाना पाया गया है। इस सम्बन्ध में उपरोक्त मरीजों व उनके परिवारजनों ने मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा ईलाज के बदले में नगद राषी लेने बारे आरोपों को सही बतलाया है। जबकि मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर के साथ हुये अनुबंध मे छुट प्राप्त रोगियो से उपचार के पश्चात् उनके इलाज पर खर्च राषि नकद लेने का कोई प्रावधान नही दिया गया है तथा इस सम्बन्ध मे मडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नही दिया गया है। जांच के दौरान मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर में भर्ती होने से उसकी ईलाज के बाद छुट्टी तक के दस्तावेज, ईलाज में लगाये गये सामान व देखभाल से सम्बन्धित आदि बिलों का कोई रिकार्ड मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा बार-बार पत्राचार करने के उपरान्त भी उपलब्ध नही कराया गया। इस सम्बन्ध मे मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर के डाक्टरों/हृय रोग विशेषज्ञ द्वारा अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा मरीजों के ईलाज में पुराना/रियूज सामान भी इस्तेमाल किया जाता है। परन्तु मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर से पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध ना होने के कारण यह स्पश्ट नही किया जा सका है कि उपरोक्त 7 छुट प्राप्त मरीजों के ईलाज में नये सामान की जगह पुराना सामान इस्तेमाल करके सरकार को कितना राजस्व नुकसान पहुॅचाया गया है और रोगियो से नकद राषि प्राप्त करके कितना अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान आरोप न0 2 में वर्णित छुट प्राप्त श्रेणी के विवादित 39 रोगियों (रामचन्द्र, शीला देवी, गोपीचन्द, जयनारायण, सुधीर, श्यमदेव गुप्ता, ठाकुर लाल, राधेलाल, सुरेश, सबजूदीन खान, कुलदीप कौर, बाबूराम, सुरेश कुमार, सुन्दर सिंह, चुट्टा, मोहीन खान, बिन्दुराम, महेश, जसवेन्द्र सिंह, खडक सिंह, हीरालाल, कौशल्या देवी, कस्तूरी, रणबीर, अकबर, किसन सैनी, चतर सिंह, अमीचन्द, कौश्या देवी, रहीम बक्स, राजकुमार, पूर्णमल, श्रवण, मुस्ताक, सोहन लाल, नारायण, बिजेन्द्र, मौहम्मद कासम और गिरीराज) के ईलाज से सम्बन्धित वर्श 2018-2019 में मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा ईलाज उपरान्त सम्बन्धित दस्तावेज भुगतान हेतू पी0एम0ओ0 कार्यालय में भेजे जाने पाये गये थे, जिनका पी0एम0ओ0 कार्यालय से मु0 34,45,672.20/-रू का भुगतान होना पाया गया है। उपरोक्त 39 रोगियेां से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की पी0एम0ओ0 कार्यालय फरीदाबाद से सत्यापित प्रति हासिल की गई। इस सम्बन्ध में मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर में भर्ती होने से उसकी ईलाज के बाद छुट्टी तक के दस्तावेज, ईलाज में लगाये गये सामान व देखभाल से सम्बन्धित आदि बिलों का कोई रिकार्ड मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा बार-बार पत्राचार करने के उपरान्त भी उपलब्ध नही कराया गया। जांच के दौरान उपरोक्त 39 छूट प्राप्त मरीजों के ईलाज के दौरान मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा इस्तेमाल किये गये सामान की जांच हेतू मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर से कैथलैब रजिस्टर/रिकार्ड मांगने पर केवल 4 कैथलैब रजिस्टर (रजि0 नं0 3 दिनांक 14.01.2019 से 15.03.2019, रजि0 नं0 5 दिनांक 09.05.2019 से 29.06.2019, रजि0 नं0 6 दिनांक 06.09.2019 से 23.08.2019 व रजि0 नं0 9 दिनांक 05.12.2019 से 03.02.2020 तक) उपलब्ध करवाये गये, इसके अतिरिक्त कोई रिकार्ड उपलब्ध ना होने बारे बतलाया। इन 4 रजिस्टरों के अवलोकन व श्री नरेश कुमार तत्कालीन कैथ लैब इन्चार्ज, मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर, फरीदाबाद के कथनानुसार कैथ लैब रजिस्ट्रो में हृय रोगियो के ईलाज से सम्बन्धित विवरण अंकित किया जाना पाया गया है तथा ईलाज के दौरान मरीजों इस्तेमाल किये गये सामान का विवरण भी लिखा जाना पाया गया है। जिन मरीजों को पुराना सामान इस्तेमाल किया गया है उस सामान के सामने 'o' लिखा हुआ है जिन हृय रोगियो को नया सामान इस्तेमाल किया गया है उस सामान के सामाने N लिखा हुआ है। उपरोक्त विवादित 39 मरीजों में से केवल निम्नलिखित 8 मरीजों का ही रिकार्ड कैथलैब रजिस्टर में उपलब्ध होना पाया गया, जिनको दौराने ईलाज इस्तेमाल किया गया पुराना/रियूज

सामान बारे विवरण इस प्रकार से हैः- SR NO -PATIENT NAME-MF NO -CATEGORY -CATH NO -BILL DATE-BILL AMOUNT-OLD / REUSE ITEM AMOUNT-(1)MAHESH-19000891—BPL-1392-462--09.02.19-1,00,688-BLLOON-24664 THROMBUS AP-3500059664/- (2) JAIVENDER SINGH -19000873-AB-1406-469-10.02.19-66,403-BALLOON 24664/-(3) RANBIR- -19001236-BPL-1459-492-25.02.19-76,304-FIELDER FC PTCA WIRE-8400BALLOON-2466433064/-(4)MUSTAK-19001559-BPL-1483-503-06.03.19-1,04,878-2 BALLOONS -24664x249328/-(5) SOHAN LAL -19001563-BPL-1484-504-04.03.19-96,940-2 BALLOONS -24664x249328/-THROMBUS AP -3500084328/-(6) NARYAN-19001568-HRG-1485-505-07.03.19-1,97,609-2 BALLOONS -24664x249328/-BMW WIRE-8400THROMBUS AP -3500092728/- (7) BIJENDER-19001658-HRG-1509-519-06.03.19-85,053-2BALLOONS 4664x249328/-(8)MOHDKASAM-19001572-BPL-1487-507-04.03.19-1,10,203 ALLOON24664x249328/- TOTAL-8,38,081/- OLD / REUSE ITEM AMOUNT 4,17,768/- जांच के दौरान उपरोक्त के अवलोकन व मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर के कैथलैब रजिस्टर व पी0एम0ओ0 कार्यालय से प्राप्त बिलों के अनुसार मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा उपरोक्त 39 विवादित छुट प्राप्त मरीजों में से उपरोक्त 8 मरीजों के ईलाज पर पुराना/रियूज सामान इस्तेमाल करने बारे ठोस साक्ष्य प्राप्त हो चुके है। जिससे स्पष्ट है कि मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा उपरोक्त 8 मरीजों के ईलाज में नया सामान इस्तेमाल करना दर्षाकर मु0 8,38,081/-रू गलत तरीके से हरियाणा सरकार के खजाने से बरामद किये है, जबकि इन बिलों में दर्षाये गये सामान में मु0 4,17,768/-रू का पुराना/रियूज सामान इस्तेमाल करना पाया गया है। ऐसा करके मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा हरियाणा सरकार को मु0 4,17,768/-रू का राजस्व नुकसान पहुँचाया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विवादित 39 मरीजों में से बकाया 31 मरीजों के ईलाज से सम्बन्धित कैथलैब रजिस्टर, आई0पी0डी0 फाईल आदि दस्तावेज मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा बार-बार पत्राचार करने के उपरान्त भी उपलब्ध ना करवाये जाने के कारण राजस्व नुकसान का आंकलन नही किया जा सका है। जांच के दौरान कार्यालय प्रधान चिकित्सा अधिकारी, बी0के0 हस्पताल फरीदाबाद में गठित चैकिंग कमेटी सदस्यों द्वारा अपने संयुक्त कथन में भी स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध मुताबिक मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर किसी भी हृय रोगी को ईलाज के दौरान पुराना/रियूज सामान इस्तेमाल नही कर सकता है। लेकिन मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर में कार्यरत हृय रोग विषेशज्ञों द्वारा हृय रोगियों के ईलाज के दौरान जो पुराना/रियूज सामान इस्तेमाल किया गया है, उस पुराने/रियूज सामान का मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर की वितिय साखा द्वारा नये सामान का बिल तैयार करके कार्यालय पी0एम0ओ0 फरीदाबाद से भुगतान करवाकर मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर को अनैतिक लाभ पहुँचाया जा रहा है। जांच के दौरान बार-बार पत्राचार करने पर मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर फरीदाबाद के प्रबन्धन स्टाफ द्वारा वर्ष 2018 से 2024 तक मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर फरीदाबाद द्वारा खरीद किये गये सामान की सूचि व बिल, ईलाज के दौरान इस्तेमाल किये गये सामान से सम्बन्धित कैथ लैब रजिस्ट्रर, अधिकारियो/कर्मचारियो की नियुक्ति व उनके कार्य से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नही करवाये गये है। जिससे स्पष्ट है कि मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर फरीदाबाद द्वारा उक्त रिकार्ड/साक्ष्यो को अपने बचाव पक्ष मे खुर्द-बुर्द किया जा चुका है। अतः जाँच के दौरान अंकित किए गए कथनों, प्राप्त किए गए प्रलेखों व की गई पडताल से मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा आरोप में वर्णित विवादित 39 हृय रोगियों में से 8 हृय रोगियों के ईलाज में नया सामान इस्तेमाल करना दर्षाकर मु0 8,38,081/-रू गलत तरीके से हरियाणा सरकार के खजाने से बरामद किये जाने पाये गये है, जबकि इन बिलों में दर्षाये गये सामान में मु0 4,17,768/-रू का पुराना/रियूज सामान इस्तेमाल करना पाया गया है। ऐसा करके मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर द्वारा हरियाणा सरकार को मु0 4,17,768/-रू का राजस्व नुकसान पहुंचाया गया है। इसलिए मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर फरीदाबाद के मुख्य प्रबन्धन अधिकारी (सी0एम0डी0) 1. डॉ0 प्रताप कुमार पुत्र श्री नटराज पिल्ले, निवासी म0न0-10 /1118, स्मभावी आश्रम्म, मेडिट्रिना हस्पताल, जिला कोलम (केरल) हाल/तत्कालीन सी0एम0डी0/कार्डियोलोजिस्ट मेडिट्रेना हस्पताल, बी0के0एच0, फरीदाबाद, 2. श्री प्रवीण कुमार तिवारी पुत्र श्री प्रभुनाथ तिवारी निवासी गाँव पडरीउम्मन, डाकखाना माटपार रानी, तहसील देवारिया, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेष हाल पता टावर न0-12, फ्लैट न0-101, ईमार पालम हीलस, सैक्टर-77, गुरूग्राम तत्तकालीन COO NORTH INDIA CHIED OPERATING OFFICER NORTH INDIA COMPANY सीनियर मैनेजर फाईनेन्स, मैडीट्रिना हस्पताल, बी0के0एच0, फरीदाबाद, 3. पीयूश श्रीवास्तव तत्कालीन फाईनैंस अधिकारी, मैडिट्रिना हार्ट सैन्टर, तृतीय तल, बी0के0एच0 अस्पताल फरीदाबाद (बिलिंग हैड) के विरुद्व धारा 203, 201, 406, 420, 467, 468, 471, 120बी0 भा0द0स0 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था तथा अनुसंधान के दौरान वर्श 2018 से 2024 तक मेडिट्रीना हार्ट सैन्टर फरीदाबाद व पी0एम0ओ0 कार्यालय फरीदाबाद से वांछित रिकार्ड प्राप्त करके सरकार को अनैतिक रुप से पहुंचाये गये राजस्व नुकसान का आंकलन करने, उपचार के दौरान पुराने सामान का इस्तेमाल की जांच करने, उपचार के दौरान मृत्यु हुए हृय रोगियो की मृत्यु के कारणो की जांच करने तथा विशयांकित आरोपो बारे अन्य किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी या किसी प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्पता पाई जाती है तो उसे भी अभियोग की तफतीष के दौरान देख

लिये जाने का सुझाव दिया जाता है। अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर को ई0एच0सी0 प्रीतम सिंह न0 2076/फरीदाबाद के माध्यम से थाना में भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके नम्बर से सूचित किया जाये तथा स्पेषल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों के पास नियमानुसार भिजवाई जाये। अभियोग के अनुसन्धान के लिये अन्य अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त किया जाये। जाँच के दौरान प्राप्त किया गया सम्बन्धित रिकार्ड सलंग्न है। SD (विजेन्द्र सिंह), निरीक्षक थाना भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। अज थाना- हस्ब आमद दरखास्त नम्बरी 17809/1-2ACB(H) DATED 28.10.2024 PANCHKULA बजरिया डाक थाना पर प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 20 दिनांक 29.10.2024 धारा 203,201,406,420,467,468,471,120 बी भा0द0स0 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल EHC गौतम नम्बर 748/FBD के ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व उच्च अफसरान बाला को भेजी जा रही हें। नकल मिशल पुलिस असल तहरीर आगामी कार्यवाही हेतु निज्द अनुसंधान अधिकारी के EHC गौतम नम्बर 748/FBD के भेजी जा रही है नोट:-यह मुकदमा INSP विजेन्द्र की हाजरी में दर्ज किया गया हैं । वा नकल मिशल मुकदमा हजा रखी गई जो आगामी अनुसंधान हेतु INSP संतराम के हवाले की जायेगी ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** Sant Ram (I (Inspector))/1030FBD **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sant Ram

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1030FBD

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1974				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	1976				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)